प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.01.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 05.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त हर्ष बंसल पुत्र राजपाल निवासी गाँव तिगरी थाना खेकडा जनपद बागपत हाल पता गौरव मार्केट बाला जी धर्मकाँटा के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये एक संगठित गिरोह बना रखा है । मैंने अपने गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराध कारित किये हैं जिनमें मैं और मेरे साथी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त हर्ष बंसल पुत्र राजपाल निवासी गाँव तिगरी थाना खेकडा जनपद बागपत हाल पता गौरव मार्केट बाला जी धर्मकाँटा के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग, लूट का 01 अभियोग , पुलिस मुठभेड व आयुध अधिनियम का 01 अभियोग (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत हैं । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत हमला करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 03.01.2026 को वादी श्री शैलेश चौधरी पुत्र श्री एन0आर0 शास्त्री निवासी बी1/72 एस-1 डीएलएफ दिलशाद एक्स 2 भौपुरा गाजियाबाद की लिखित तहरीर दी और बताया कि अभियुक्त सन्नी सिह पुत्र मुकेश व चन्दू पुत्र

बौबी व उसके अन्य साथी द्वारा वादी के बेटे दयास चौधरी के साथ गाली गलौच कर हाथापाई करते हुए जान से मारने की धमकी देना व अभियुक्त आमीर द्वारा जान से मारने की नीयत से वादी व वादी के बेटे के ऊपर गोली चलाकर वादी के बेटे दयास चौधरी को घायल करने के सम्बन्ध में धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(2), 109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 05.01.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर जान से मारने की नियत हमला करने वाले 02 अभियुक्त सन्नी सिह पुत्र मुकेश पता वी-1/79 ग्राउन्ड फ्लोर डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष व चन्दू पुत्र बौबी पता वी-1/128 ग्राउन्ड फ्लोर डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को शौचालय कट डीएलएफ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम अपने साथी रिहान, आमिर और आमिर के भाई के साथ बिल्डिंग के नीचे बैठे शराब पी रहे थे लेकिन दयास चौधरी हमें वहां पर बैठने से मना कर रहा था। दयास चौधरी हमें रोज परेशान करता था इसी कारण उससे हमारा झगड़ा हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. सन्नी सिह पुत्र मुकेश पता वी-1/79 ग्राउन्ड फ्लोर डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
2. चन्दू पुत्र बौबी पता वी-1/128 ग्राउन्ड फ्लोर डीएलएफ थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर जान से मारने की नियत हमला करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।